कार्यालय जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

रेलवे अस्पताल के सामने, रातानाडा, जोधपुर– 342001

email- jdajodhpur-rj@gov.in वेब–साईट joda.rajasthan.gov.in Phone No. 0291-2612086/265635-7 Fax 0291-2612086

क्रमांकः एफ–37 / जेडीए / ले–आउट प्लान / 2025 / **(राजकाज सं. 09357)**

सुश्री अंजली गोयल पुत्री श्री प्रीतम लाल
निवासी : 771, पाँच वीं रोड़ सरदारपुरा,
जोधपुर। (पिनकोड 342001)

विषय :– राजस्व ग्राम उम्मेद नगर के खसरा संख्या 249 / 2, 249 / 3 रकबा 39741.00 वर्गमीटर में कृषि आधारित वेयर हाउस योजना प्रयोजनार्थ ले–आउट प्लान अनुमोदन बाबत्।

उपरोक्त विषयान्तर्गत आप द्वारा राजस्व ग्राम उम्मेद नगर के खसरा संख्या 249 / 2, 249 / 3 रकबा 39741.00 वर्गमीटर में कृषि आधारित वेयर हाउस योजना प्रयोजनार्थ ले–आउट प्लान अनुमोदन हेतु प्राप्त प्रकरण भवन मानचित्र समिति (ले–आउट प्लान) की 05 / 2025 वीं बैठक दिनांक 27.02.2025 में प्रस्तुत किया गया है। विचार–विमर्श उपरान्त प्रकरण में समिति द्वारा लिए गए निर्णय की प्रति सुलभ संदर्भ हेतु प्राधिकरण की वेबसाईट www.joda.rajasthan.gov.in पर अवलोकन किया जा सकता है।

(प्रियंका चौपडा)
उप नगर नियोजक
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर

Signature valid

Digitally signed by Priyanka Chopra
Designation : Assistant Town Planner
Date: 2025.03.07 20:02:07 IST
Reason: Approved

भारतीय गैर न्यायिक

भारत INDIA

रु. 500

FIVE HUNDRED RUPEES

पाँच सौ रुपये

सत्यमेव जयते

Rs. 500

INDIA NON JUDICIAL

राजस्थान RAJASTHAN

AD 495925

कोषाधिकारी (शहर) 03 JUN 2025 जोधपुर (राजस्थान)

रहननामा (Mortgage Deed)

रहन नामा लिख देती हूँ मैं अंजली पुत्री श्री प्रीतमलाल जी जाति नायक निवासी मकान संख्या 771, अग्रवालो की बगेची, बाफना अस्पताल के पास, चौपासनी रोड जोधपुर में रहने वाली शपथपूर्वक बयान करती हूँ कि जिन्हे आगे इस दस्तावेज में प्रथम पक्षकार के नाम से सम्बोधित किया जायेगा।

बहक

सचिव, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर, जिन्हे आगे इस दस्तावेज में द्वितीय पक्षकार के नाम से सम्बोधित किया जायेगा के पक्ष में यह दस्तावेज निम्न प्रकार से तहरीर व कर देती हूँ कि

मगनाराम
प्रशानिक अधिकारी
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर

Anjali Goyal

ATTESTED
NOTARY, JODHPUR
12/06/25

NOTARY GOVT. OF INDIA

680 12/6/2025

अंजली गोयल

प्रीतम लाल जी

5 वी रोड जोधपुर

रहन नामा

हरीश

मोह 21

9079318891

50/-

150/-

150/-

मोह 21

1. यह है कि प्रथम पक्षकार की खरीदसुदा कृषि भूमि खसरा संख्या 249/2, 249/3, कुल रकबा 3.9741 हैक्टेयर वाके ग्राम उम्मेदनगर, तहसील तिंवरी जिला जोधपुर में आई हुई है।

2. यह है कि उक्त कृषि भूमि का जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर द्वारा एग्रो कैम्प हाउस प्रयोजनार्थ ले–आउट प्लान दिनांक 27.02.2025 को अनुमोदित किया जा चुका है तथा 90–ए की कार्य दिनांक 26.01.2025 को पूर्ण हो चुकी है।

3. यह है कि टाउनशिप पॉलिसी में निर्धारित मानदण्डों के अनुरूप आंतरिक कार्य के बाबत 12.5 प्रतिशत भूमि द्वितीय पक्षकार के पास रहन रखे जाने हैं। इस आवासीय कॉलोनी में आंतरिक विकास कार्य टाउनशिप पॉलिसी 2010 एक्ट के नियम 12 के अधीन उक्त विकास करने के लिए प्रतिबद्ध है अन्यथा नियमानुसार पैनल्टी भुगतान को तैयार है। उक्त समयावधि में आंतरिक विकास नहीं करने पर भूखण्डों के विक्रय हेतु प्राधिकरण अधिकृत होगा।

4. यह है कि उक्त खसरा नं. 249/2, 249/3 के अनुमोदित ले–आउट प्लान में से 12.5 प्रतिशत भूखण्ड का विवरण निम्न है –

क्र.सं.	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड का क्षेत्र
1.	01 व 11	कुल नाप – 2932.26 वर्गमीटर

5. यह है कि उपरोक्त वर्णित सारणी के भूखण्डों को प्रथम पक्षकार टाउनशिप पॉलिसी या निर्धारित मापंदडों के अनुरूप आंतरिक विकास कार्य के बाद 12.5 प्रतिशत भूखण्डों के अंतर्गत द्वितीय पक्षकार के पास रहन रख रहे है।

6. यह है कि उक्त भूखण्डों को आंतरिक विकास कार्य पूर्ण करने की अवधि तक के लिए रहन रखा गया है, जो आंतरिक विकास कार्य पूर्ण होने के पश्चात् द्वितीय पक्षकार द्वारा नियुक्त अधिकारी/कर्मचारीगण की रिपोर्ट के पश्चात् द्वितीय पक्षकार रहन मुक्त कर सकेंगे। तत्पश्चात् ही उक्तानुसार रहन रखे जाने वाले 12.5 प्रतिशत भूखण्डों के पट्टें प्रथम पक्षकार प्राप्त करने के अधिकारी होंगे।

ATTESTED

NOTARY

Anjali Goyal

लिहाजा यह रहननामा प्रथम पक्षकार ने द्वितीय पक्षकार के हक में राजीखुशी, अकल, होशियारी, बिना नशे पते एवं बिना किसी दबाव, पढ़कर, सुनकर, समझकर निष्पादित कर दिया है, जो लिखे माफिक सही है व सनद रहे तथा वक्त जरूरत काम आवे।

Anjali Goyal
हस्ताक्षर प्रथम पक्षकार

साख 1 :– हरीश S/o राजकिशोर
9079318876

साख 2 :– मनीष S/o जुगलकिशोर
9783972324

NOTARY GOVT. OF ...

ATTESTED
NOTARY, JODHPUR
12/06/25

PROPOSED LAYOUT PLAN "AGRICULTURE WAREHOUSING" SCHEME ON KHASRA NO 249/2 & 249/3 AT VILLAGE : UMMEDNAGAR, DIST. JODHPUR

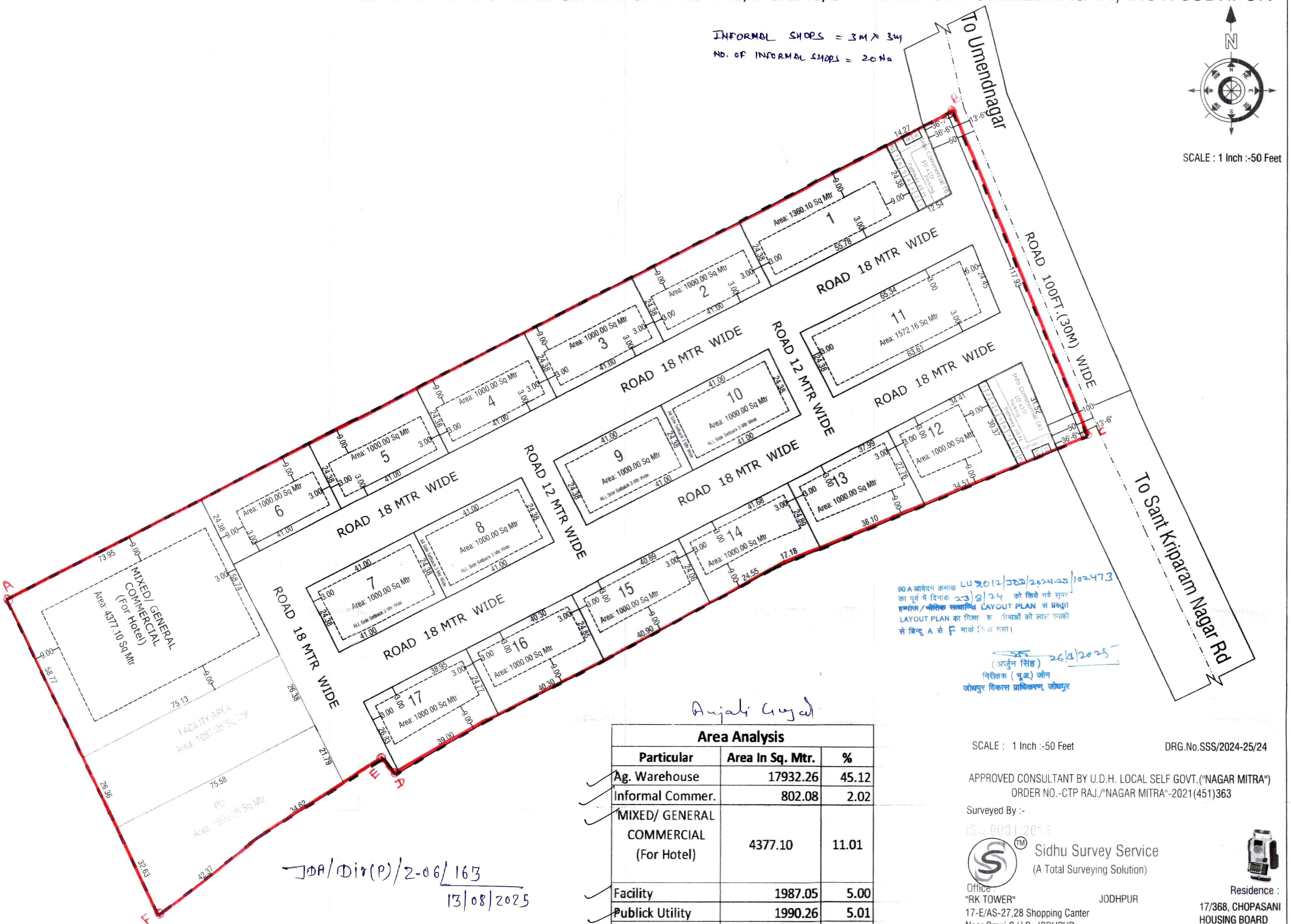

JDA/Dir(P)/2-06/163
13/08/2025

Anjali Goyal

Area Analysis		
Particular	Area In Sq. Mtr.	%
Ag. Warehouse	17932.26	45.12
Informal Commer.	802.08	2.02
MIXED/ GENERAL COMMERCIAL (For Hotel)	4377.10	11.01
Facility	1987.05	5.00
Publick Utility	1990.26	5.01
Road	12652.25	31.84
Total	**39741.00**	**100.00**

90 A आवेदन क्रमांक LU/2012/JDA/2024-25/102473 का पूर्व में दिनांक 23/8/24 को किये गये सुपर इम्पोज/भौतिक सत्यापित LAYOUT PLAN से प्रस्तुत LAYOUT PLAN का मिलान कर सीमाओं को लाल स्याही से बिन्दु A से F मार्क किया गया।

(अर्जुन सिंह) 26/3/2025
निरीक्षक (भू.अ.) जोन
जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

SCALE : 1 Inch :-50 Feet

DRG.No.SSS/2024-25/24

APPROVED CONSULTANT BY U.D.H. LOCAL SELF GOVT.("NAGAR MITRA")
ORDER NO.-CTP RAJ./"NAGAR MITRA"-2021(451)363

Surveyed By :-

ISO 9001:2015

Sidhu Survey Service
(A Total Surveying Solution)

Office
"RK TOWER" JODHPUR
17-E/AS-27,28 Shopping Canter
Near Omni C.H.B. JODHPUR
342008

Residence :
17/368, CHOPASANI
HOUSING BOARD

Office + 0291-2706777. (M) 98290-76053, 9784642703,94141-96625
E-mail : sidhusurvey701@ gmail .com

एजेण्डा संख्या 09 (राजकाज सं. 09357) (बैठक दिनांक 27.02.2025) :– **जोन–06**

1.	आयोजना शाखा में प्राप्ति क्रमांक / दिनांक	216 / 08.11.2024
2.	आवेदक का नाम	सुश्री अंजली गोयल पुत्री श्री प्रीतम लाल
3.	राजस्व ग्राम	उम्मेद नगर
4.	खसरा संख्या	249 / 2, 249 / 3
5.	आवेदित भूमि का क्षेत्रफल (वर्गमीटर में)	39741.00 वर्गमीटर
6.	प्रार्थी द्वारा चाहा गया उपयोग	कृषि आधारित वेयर हाऊस योजना

7\. **निर्णय ::**

समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। विचार–विमर्श उपरांत निम्नलिखित शर्तो के साथ ले–आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:–

1. बी.पी.सी. (एल.पी.) की बैठक दिनांक 08.01.2025 में लिए गए निर्णय के अनुसार आवेदित भूमि के सामने 30 मीटर (सड़क के मध्य बिन्दु से 15 मीटर) सड़क मार्गाधिकार का प्रावधान किया जावें। सड़क मार्गाधिकार हेतु आवश्यक भूमि प्रार्थी की भूमि में से जोविप्रा के पक्ष में निःशुल्क समर्पित करवायी जावें।
2. प्राधिकरण की बोर्ड बैठक दिनांक 29.03.2023 में लिये गए निर्णय के क्रम में प्रकरण में अग्निसुरक्षा बाबत् सुरक्षात्मक दूरी हेतु अन्य उपयोगों से न्यूनतम 9 मीटर सेटबैक का प्रावधान किया जावें।
3. प्रकरण में पट्टा विलेख जारी किये जाने से पूर्व आवेदक से कृषि आधारित वेयर हाऊस के संबंध में रजिस्ट्रेशन / प्रमाण–पत्र प्राप्त किये जाने की सुनिश्चितता जोन स्तर पर की जावें।
4. राज्य सरकार द्वारा दिनांक 15.12.2022 को जारी आदेश के बिन्दु संख्या 03 एवम् परिपत्र दिनांक 30.05.2016 व 22.11.2016 अनुसार 2 है0 से कम क्षेत्रफल पर नियमानुसार राशि ली जावें अथवा 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र का प्रावधान किया जावें।
5. आवेदित भूमि के सड़क भाग मे से गुजर रही एल.टी. विद्युत लाईन की क्षमता एवं स्थिति के संबंध में रिपोर्ट प्राप्त की जाकर आवश्यक होने पर सेफ्टी–कॉरिडोर का प्रावधान किया जावें।
6. आवेदित भूमि के संबंध में डिमार्केशन की कार्यवाही होने, सड़क मार्गाधिकार में निर्माण नही होने, पट्टा विलेख जारी किये जाने से पूर्व मौके पर निर्माण होने की स्थिति में राशि लिए जाने एवं सैटबेक क्षेत्र में किये गये निर्माण को एक वर्ष की अवधि अथवा भवन अनुमति जारी होने से पूर्व हटाया जाने इत्यादि की सुनिश्चितता जोन स्तर पर की जावें।
7. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।

8/4/25
उप नगर नियोजक
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर

09/04/2025
निदेशक आयोजना
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर

11/8/25
उपायुक्त (जोन 6)
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर